

LEAGUE OF NATIONS-1

FOR P.G.SEM-2,CC-6,UNIT-1

BY:ARUN KUMAR RAI

ASST.PROFESSOR

P.G.DEPT.OF HISTORY

MAHARAJA COLLEGE

ARA.

पृष्ठभूमि

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व में स्थाई शांति स्थापित करने करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति *विल्सन* काफी प्रयासरत थे। उन्होंने सामूहिक सुरक्षा तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व के आधार पर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए *राष्ट्र संघ* की योजना रखी। **8 जनवरी 1918** को विल्सन ने सुप्रसिद्ध **14 सूत्रों** का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने 14 वें सिद्धांत में इसका उल्लेख किया था।

पृष्ठभूमि

- ▶ राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई। **राष्ट्रपति विल्सन** इसके अध्यक्ष बनाए गए। 19 प्रतिनिधियों के सम्मेलन ने राष्ट्र संघ का संविधान बनाया था। राष्ट्र संघ के संविधान को **समझौते (Covenant)** का नाम दिया है। राष्ट्र संघ के विधान में एक भूमिका तथा **26 धाराएं** थीं। **10 Jan. 1920** को राष्ट्र संघ की जीवन प्रारंभ हुआ।

राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण धाराएं

- ▶ 10 वीं धारा- राष्ट्र संघ के सदस्य संघ के सभी सदस्यों की प्रादेशिक एकता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। किसी भी बाह्य आक्रमण के समय में वे उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। यह धारा प्रसिद्ध सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था।

राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण धाराएं

- ▶ **11वीं धारा-** इस धारा के अनुसार किसी युद्ध या युद्ध की धमकी को राष्ट्र संघ के लिए चिंता का विषय बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति को संकट में डालने वाली किसी भी परिस्थिति की ओर कोई भी सदस्य एसेम्बली का ध्यान आकृष्ट करा सकता था। सदस्य की प्रार्थना पर महासचिव युद्ध युद्ध की स्थिति पर विचार करने के लिए तुरंत काउंसिल की बैठक बुला सकता था। इस धारा का मुख्य उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध जनमत तैयार करना था।

राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण धाराएं

- ▶ 12वीं धारा- इस धारा के अनुसार संघ के सदस्यों ने मान लिया कि यदि उनके मध्य कोई ऐसा झगड़ा खड़ा हो जाए जिसका परिणाम युद्ध हो सकता है तो वे उस विवाद के संबंधों में पंचों द्वारा निर्णय कराएंगे या न्यायालय में उसका निर्णय कराएंगे अथवा निर्णय के लिए काउंसिल के पास भेजेगें। वे तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं करेंगे जब तक कि निर्णय को 3 महीने व्यतीत न हो गये हो।

राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण धाराएं

- ▶ 13 वीं धारा- इसके द्वारा किसी संधि की व्याख्या, अंतरराष्ट्रीय विधि के विषयों तथा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय पंचायत द्वारा अथवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कराने की व्यवस्था की गई।

राष्ट्र संघ के मुख्य धाराएं

- ▶ 15वीं धारा – इसमें उन्हीं विवादों का उल्लेख था जो काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। यदि दो या दो से अधिक राज्यों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो विवाद से संबंधित राज्य इसकी सूचना पहले संघ के महासचिव को देंगे। महासचिव इसकी जांच और इस पर विचार किए जाने का प्रबंध करेगा।

राष्ट्र संघ की मुख्य धाराएं

- ▶ 16वीं धारा- यदि राष्ट्र संघ का कोई सदस्य समझौते की उपेक्षा करके युद्ध प्रारंभ करता है तो वह राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जाएगा। राष्ट्र संघ के सदस्य उससे व्यापारिक तथा आर्थिक संबंध विच्छेद कर देंगे।

राष्ट्र संघ के उद्देश्य

1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करना
2. अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना
3. युद्ध को रोकना
4. संरक्षण पद्धति को (Mandate system) चलाना और अल्पसंख्यक जातियों की देखभाल

राष्ट्र संघ के उद्देश्य

5. सार्वजनिक हित के लिए काम करना । इसके तहत मनष्य मात्र के कल्याण के लिए विविध उपाय करना शामिल है । इसमें महामारियों को रोकना , स्वास्थ्य की दशा को उन्नत करना , दास प्रथा का उन्मूलन करना स्त्रियों के क्रय विक्रय को रोकना , आर्थिक , सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना है ।

संगठन एवं सदस्यता

- ▶ संगठन – राष्ट्र संघ की प्रथम 7 धाराओं में इसकी सदस्यता तथा संगठन का वर्णन है।
- ▶ सदस्यता-राष्ट्र संघ की पहली धारा के अनुसार राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य वे 31 राज्य थे जिनका नाम विधान की परिशिष्ट (Annex to the covenant) में उल्लिखित था।
- ▶ परिशिष्ट में कुछ और राज्यों के नाम भी उल्लेखित थे जो राष्ट्र संघ में शामिल हो सकते थे।

संगठन एवं सदस्यता

- ▶ असेंबली से दो तिहाई बहुमत से किसी भी देश को इसका सदस्य बनाया जा सकता था।
- ▶ काउंसिल की सर्वसम्मति से कोई भी राष्ट्र इसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता था।
- ▶ जो देश स्वेच्छा से इसकी सदस्यता त्यागना चाहते थे उसको 2 वर्ष का नोटिस देना आवश्यक था।

संगठन एवं सदस्यता

- ▶ राष्ट्र संघ में कभी भी समस्त महाशक्तियां सम्मिलित न हो सकी
- ▶ अमेरिका इसका कभी सदस्य नहीं बना।
- ▶ जर्मनी को 1926 में सदस्य बनाया गया 1933 में इसने छोड़ने की घोषणा कर दी।
- ▶ रूस को 1933 में सदस्य बनाया गया 1940 में

संगठन एवं सदस्यता

फिनलैंड पर आक्रमण करने के कारण उसे काउंसिल की सदस्यता से अलग कर दिया गया

- ▶ जापान ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया
- ▶ इटली ने 1937 में इसकी सदस्यता त्याग दी।
- ▶ 1932 में कोस्टारिका तथा ब्राजील ने इसकी सदस्यता छोड़ी थी ।

राष्ट्र संघ के अंग

राष्ट्र संघ के विधान की *दूसरी धारा* के अनुसार इसके निम्नलिखित **तीन** प्रधान अंग थे: °

1. असेम्बली(Assembly)
2. परिषद(Council)
3. सचिवालय(Secretariat)

राष्ट्र संघ के अन्य अंग

4. अंतरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice)

5. अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ (International Labour organization)

To be contd.....